

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थनापत्र संख्या 15/19/19	प्रवेश तिथि 26-03-2019	निर्णय दिनांक 01-03-2021
----------------------------------	---------------------------	-----------------------------

1. हाउसिंग डवलपमेंट फाईनेंस कोरपोरेशन लिमिटेड (एच0डी0एफ0सी0 लि0) जिसका पंजीकृत कार्यालय रेमन हाउस एच टी पारेख मार्ग 169 बैकवे रिक्लेमेयशन चर्च गेट मुम्बई 400020 जिसका शाखा कार्यालय एच डी एफ सी लिमिटेड सी -25 भगवन्त दास रोड सेन्ट जेवियर स्कूल के सामने सी स्कीम जयपुर में स्थित व कार्यरत है।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती स्वाती शर्मा, पता :- प्लेट नं0 613, छठी मंजिल रॉयल कोर्ट टॉवर -7 ग्राम पीपली तहसील बहरोड जिला अलवर। दूसरा पता :- मकान नं0 3326/बी डीएलएफ फेज-4 चन्द्रलोक कोपरेटिव सोसायटी गैलेरिया मार्केट के पास गुरुग्राम हरियाणा। तीसरा पता :- काउन्सलर ग्रेड-1 मानव रचना विध्यन्तरिक्ष प्रा0लि0 1007 दसवा तल के0एल0जे0 टॉवर नोर्थ नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा मोर्या एनक्लेव न्यू दिल्ली 110034
2. श्री परिणव भारद्वाज, पता :- प्लेट नं0 613, छठी मंजिल रॉयल कोर्ट टॉवर -7 ग्राम पीपली तहसील बहरोड जिला अलवर। दूसरा पता :- मकान नं0 3326/बी डीएलएफ फेज-4 चन्द्रलोक कोपरेटिव सोसायटी गैलेरिया मार्केट के पास गुरुग्राम हरियाणा। तीसरा पता :- अन्डर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया मेजबान हॉटल के पास सरस्वती विहार डीएलएफ फेज-IV के पास गुरुग्राम हरियाणा 122009


अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं की सम्पत्ति :-

- श्रीमती स्वाति शर्मा पत्नी श्री परिणव भारद्वाज व श्री परिणव भारद्वाज पुत्र श्री पवन भारद्वाज की सम्पत्ति जो कि प्लेट नं0 613 छठी मंजिल, रॉयल कोर्ट टॉवर 7 ग्राम पीपली तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एव ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप : 650 वर्ग फीट है। को रहन रखा गया था। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया। उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया

 जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।


प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :-

- 1-रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।
- 2.-आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार बहरोड, जिला-अलवर जिला अलवर को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाडी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01-03-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(नन्मूल पहाडिया)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर